(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2510-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-07-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 557/अपील/2014-15

---

1. देवबख्श पुत्र स्व. रामकिशन
2. बलवत सिंह आत्मज स्व. रामकिशन
   निवासीगण ग्राम लहारपुर
   तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.
3. श्रीमती रामकली बाई पत्नी श्रीमल पुत्री स्व. रामकिशन
   निवासी ग्राम रतनपुर सड़क
   तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.
4. श्रीमती नानी बाई पत्नी मोहन सिंह पुत्री स्व. रामकिशन
   निवासी ग्राम नानाखेड़ा,
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

मेसर्स असनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा
डायरेक्टर विशन असनानी आत्मज एस. असनानी
निवासी एफ.एफ- 1 मानसरोवर काम्पलेक्स
हबीबगंज भोपाल .....अनावेदक

श्री सी.एम.विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 देवबख्श द्वारा ग्राम लहारपुर स्थित खसरा क्रमांक 68, 72, 81, 85, 110/2/1, 153/2, 158/1, 167/1, 169, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 203, 204/1, 208, 209 एवं 213 कुल रकबा 2.720 हेक्टेयर के बटवारे हेतु संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-27/09-10 दर्ज कर दिनांक 15-12-2010 को बटवार आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एम.पी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15-1-2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश यथावत रखा गया, किन्तु बटवारा उपरांत अक्स बटान की कार्यवाही में अनावेदक को बगैर सूचना दिये अक्स बटान की कार्यवाही किए जाने के कारण, वह निरस्त कर, तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर विधि अनुसार अक्स बटान संबंधी कार्यवाही कर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-7-2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 1-2-2018 को आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध करने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया था कि अनावेदक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करें, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) आवेदगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 110/2 रकबा 51 डिसमिल बटान के पश्चात अलग-अलग खसरा क्रमांकों में दर्ज हुई थी । उक्त भूमि संयुक्त स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिसका तहसीलदार द्वारा विधिवत बटवारा स्वीकृत किया गया है ।

(2) तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा विधि प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकार विहीन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, फिर भी

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार की गई है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी । अपर आयुक्त द्वारा विधि प्रावधानों के विपरीत नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त से परे दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किये बिना आवेदकगण की अपील निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि संहिता की धारा 178 के तहत राजस्व अभिलेख में दर्ज संयुक्त भूमिस्वामी ही बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और वही व्यक्ति बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है । आवेदकगण द्वारा इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में आपत्ति की गई थी, जिसे अनदेखा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त करने में वैधानिक भूल की गई है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । अत: अपर आयुक्त का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा ऐसे दो आदेश पारित किये गये हैं, जो विरोधाभासी हैं, क्योंकि देवबख्श विरूद्ध डॉ. भरत चतुर्वेदी वगैरह के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8-7-16 में अपर आयुक्त द्वारा सुनवाई का अधिकार नहीं होना माना है, जिसकी निगरानी भी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है, वहीं आदेश दिनांक 13-7-16, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, में अपील तो मानते हैं, परन्तु तथ्यों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किये बिना विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक द्वारा असत्य आधारों पर 13 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस वैधानिक तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रकरण में तर्क पूर्व पीठासीन अधिकारी कुमारी रितु चौहान के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये थे और उनका स्थानांतरण होने के उपरांत श्रीमती मिश्रा द्वारा पद ग्रहण किया गया था । प्रकरण चार माह से लम्बित होने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं तर्क सुने बिना विधि विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भूअभिलेख खसरे में अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य विधिवत बटवारा आदेश पारित किया है, जिसे किसी भी सहखातेदार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार केवल बटवारे की कार्यवाही की गई है, अक्स बटान की कार्यवाही नहीं की है । अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अभिलिखित खातेदार होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है लेकिन भूअभिलेख में अपना नाम कब और किस आदेश से दर्ज करवाया, इसके समर्थन में खसरे की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है । अनावेदक द्वारा अक्स बटान को चुनौती दी गई है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा अक्स बटान की कार्यवाही की ही, नहीं गई है । अनावेदक द्वारा ऐसा कोई अक्स बटान जिसे चुनौती देना बताया है, प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य ही नही थी, जिस पर बिना विचार किये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी द्वितीय अपील में उपरोक्त स्थिति पर कोई विचार नहीं कर, अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 13-07-2016, अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक15-1-2014 निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-12-2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर